विशेष सूचना— संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा—2023: दक्षता परीक्षण में छूट के संबंध में।

संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा—2023 के भर्ती के नोटिस के पैरा 13.9.7.7.7 के अनुसार, दिव्यांग अभ्यर्थी जो शारीरिक अक्षमता के कारण टंकण परीक्षा देने के लिए स्थाई रूप से अनुपयुक्त होने का दावा करते हैं, उन्हे आयोग के पूर्व अनुमोदन से ऐसी परीक्षा में उपस्थित होने और अर्हता प्राप्त करने की अनिवार्यता से छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि ऐसे अभ्यर्थी, सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी, अर्थात स्वास्थ्य देख—रेख संस्थान के सिविल सर्जन से हस्ताक्षरित निम्नलिखित दस्तावेज / प्रमाण पत्र दिनांक 30.10.2023 तक इस क्षेत्रीय कार्यालय के ईमेंल sscmprchs12023@gmail.com में भेजें कि वे शारीरिक दिव्यांगता के कारण टंकण परीक्षा देने के लिए स्थाई रूप से अनिफट हैं। अभ्यर्थी को निम्नलिखित दस्तावेज (मूल और फोटोकॉपी) के साथ टियर—।। परीक्षा की तिथि में परीक्षा स्थल में रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा।

- 1 सिविल सर्जन से कौशल परीक्षा में उपस्थित होने से छूट प्राप्त करने के लिए मेडिकल प्रमाणपत्र (अनुलग्नक XIV)। सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी, अर्थात स्वास्थ्य देख-रेख संस्थान के सिविल सर्जन के अलावा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित/जारी प्रमाणपत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
- 2 भर्ती सूचना के अनुसर विकलांगता का प्रमाण पत्र (अनुलग्नक XI से XIII), परीक्षा की सूचना के अनुसार, जो भी लागू हो।
- कौशल परीक्षा में उपस्थित होने से छूट प्राप्त करने के लिए अनुबंध के अनुसार वचनबद्धता।
- परीक्षा केन्द्र पर प्रमाणपत्रों के सत्यापन के लिए उपस्थित नही होने वाले अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षण
 में अनुपस्थित चिन्हित किया जाएगा।
- 2 अभ्यर्थी को संयुक्त हायर सेकण्डरी (10+2) स्तरीय परीक्षा 2023 (टियर—।।) की परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन (DV) के समय इन सभी दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि कोई अभ्यर्थी इसे प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और उनके पास किसी भी पद के लिए कोई दावा नहीं होगा।

अभ्यर्थी दक्षता परीक्षण में छूट के लिए आवेदन केवल sscmprchsl2023@gmail.com पर ही भेजें और टियर—।। (पेपर—।) के परीक्षा केन्द्र पर सभी दस्तावेजों की मूल और फोटोकॉपी अवश्य प्रस्तुत करें। अन्य किसी ईमेल पर भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोट- परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 13.9.7.6.1 के अनुसार डाटा एन्ट्री आपरेटरों के लिए कौशल परीक्षा अनिवार्य है, किसी भी अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने से छूट नहीं है।

> कर्मचारी चयन आयोग, रायपुर दिनांक 27.10.2023

<u>Important Notice</u>: Combined Higher Secondary (10+2) Level Examination, 2023 (CHSLE): seeking exemption from appearing in Skill Test.

As per para 13.9.7.7.7 of Recruitment Notice of CHSLE 2023, Persons with Disabilities candidates who claim to be permanently unfit to take the Typing Test because of a physical disability may, with the prior approval of the Commission, be exempted from the requirement of appearing and qualifying at such test, provided such a candidate submits the following documents/certificates issued by the competent Medical Authority, i.e., the Civil Surgeon of a Government Health Care Institution declaring him to be permanently unfit for the Typing Test because of a physical disability to this Regional Office of SSC on e-mail sscmprchsl2023@gmail.com only latest by 30.10.2023. The candidates are also required to report at the venue of Tier-II examination on the date of their Paper-I along with the following documents for Verification (Original & Photocopies).

- (i) Medical Certificate (Annexure XIV) for seeking exemption from appearing in Skill Test from Civil Surgeon. Certificate issued by any authority other than Civil Surgeon of a Government Health Care Institution will not be accepted.
- (ii) Certificate of Disability as per Recruitment Notice (Annexure XI to XIII), whichever is applicable, as per Notice of Exam.
- (iii) Undertaking as per Annexure for seeking exemption from appearing in Skill Test
- (iv) Candidate not appearing at the venue for verification of certificate will be marked ABSENT in Skill Test.
- 2. The candidates are required to produce all these documents in original at the time of Computer Based Test (CHSL 2023 Tier-II) at Examination Center and Document Verification (DV). If any candidate fails to produce the same, candidature of such candidates will be cancelled and they will have no claim against any posts.

Candidates should send their application for exemption in Skill Test with applicable certificate only on e-mail sscmprchsl2023@gmail.com. Also submit all the above documents at the Tier-II Examination venue on the date of Tier-II (Paper-I). Application sent to any other email Id will not be entertained.

Note- As per para 13.9.7.6.1 Skill Test is mandatory for Data Entry Operators. No candidate is exempted from appearing in the Skill Test.

SSC (MPR), Raipur Dated 27.10.2023